न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 910/2024 | दायर दिनांक 07.11.2024 | निर्णय दिनांक 30.04.2025

1. श्री रमेश तेली पुत्र मदनलाल तेली निवासी अडसीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बडलियास

–– विपक्षीगण

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री मनमोहन शर्मा।
2. विपक्षी की और से पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दूरस्थ कराये जाने

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम अडसीपुरा पटवार हल्का जीवा का खेडा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र आकोला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या 87 में आराजी नम्बर 212/165 रकबा 2.8412 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 86 में आराजी नम्बर 164 रकबा 0.0108 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 190/165 रकबा 1.8905 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.9013 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी का बोलता नाम रामेश्वर है, बल्कि प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्कूल रेकार्ड, बैंक खातें में प्रार्थी का नाम रमेश तेली अंकित है। प्रार्थी नाबालिग दर्ज है बल्कि प्रार्थी बालिग हो चुका है। मदनजी तेली के रामेश्वर नाम का अलग लडका नहीं था व रामेश्वर व रमेश तेली दोनो एक ही होकर प्रार्थी है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रमेश तेली के बजाय रामेश्वर तेली जो कि सद्भाविक भूल से दर्ज हुआ है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके गलत अंकन होने से प्रार्थी के वैध हक अधिकारों का हनन हो रहा है। न्यायहित में उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने से किसी भी आमजन के हक अधिकारों पर विपरित प्रभाव नहीं पडेगा।

अतः प्रार्थना है कि ग्राम अडसीपुरा पटवार हल्का जीवा का खेडा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र आकोला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या 87 में आराजी नम्बर 212/165 रकबा 2.8412 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 86 में आराजी नम्बर 164 रकबा 0.0108 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 190/165 रकबा 1.8905 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.9013 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र श्री मदनलाल तेली के बजाय रमेश तेली पुत्र मदनलाल तेली दुरुस्त करानें जाने व नाबालिग से बालिग दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.11.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। नायब तहसीलदार बडलियास से रिपोर्ट ली गई। नायब तहसीलदार बडलियास द्वारा पत्रांक 181 दिनांक 20.03.2025 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि रामेश्वर व रमेश एक ही व्यक्ति होना बताया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। प्रार्थी के सभी पते एवं पहचान के प्रमाणपत्रों में नाम रमेश तेली पुत्र मदनलाल तेली अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का नायब तहसीलदार बडलियास की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम अडसीपुरा पटवार हल्का जीवा का खेडा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या 87 में आराजी नम्बर 212/165 रकबा 2.8412 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 86 में आराजी नम्बर 164 रकबा 0.0108 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 190/165 रकबा 1.8905 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.9013 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पिता मदन तेली की बजाय रामेश्वर उर्फ रमेश पिता मदनलाल तेली दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नायब तहसीलदार बडलियास उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा